न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 38/2017

अपीलांट्स–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
1. मानाराम पुत्र कानाराम 2. सुखराम पुत्र कानाराम 3. सुजानाराम पुत्र कानाराम जाति बिश्नोई निवासी शिव मंदिर, नेडीनाडी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध समर्पण आदेश क्रमांक 6112–14 दिनांक 19.06.2016 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री भेराराम, नायब तहसीलदार, राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30/12/2019

अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा समर्पण स्वीकृति हेतु पारित आदेश दिनांक 19.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा शिव मंदिर के खसरा नम्बर 415/19 रकबा 142–00 बीघा भूमि मानाराम, सुखराम, रामजीवन, सुजानाराम पि0 कानाराम कौम बिश्नोई साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त भूमि में से 01–15 बीघा का पक्षकारान द्वारा स्वेच्छा से समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने का प्रार्थना पत्र एवं समर्पण पत्र तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया। हल्का पटवारी नेडीनाडी द्वारा पक्षकारान की पहचान करते हुए एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उक्त भूमि मौके पर खाली हैं, किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हैं, किसी प्रकार का लगान बकाया नही हैं एवं समर्पण की जाने वाली भूमि सार्वजनिक उपयोग

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

हेतु काम आयेगी। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत समर्पण पत्र आदेश क्रमांक 6111 दिनांक 19.09.2016 के द्वारा स्वीकार करते हुए हल्का पटवारी को उक्त समर्पित भूमि राजस्व रेकर्ड में राज हम में अमलदरामद करते हुए कब्जा प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। अपीलांट द्वारा उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.06.2017 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित राजकीय पैरोकार को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा शिव मंदिर के खसरा नम्बर 415/19 रकबा 142–00 बीघा का आया हुआ हैं। इस खेत के बंटवाड़े के लिए पक्षकारान द्वारा विभाजन का एक वाद सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव में सुजाना का हिस्सा बीच में रखकर शेष खातेदारान का हिस्सा संयुक्त रखा गया। इस पर विवाद होने पर विभाजन प्रस्ताव विड्रा कर सहमति बंटवाड़ा व तरमीम कराना तय किया गया। इसके पश्चात अपीलांट्स सहमति से बंटवाड़ा कराने हेतु रेस्पोडेंट के समक्ष प्रस्तुत हुए तब हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट्स के पड़ौसी खातेदार के अनुचित प्रभाव में आकर बंटवाड़ा के प्रस्ताव के साथ–साथ खाली पेपर्स पर हस्ताक्षर करवा कर आलौच्य समर्पण पत्र बिना सहमति एवं कपटपूर्ण तरीके से तैयार कर प्रस्तुत कराया, जिस पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एवं कपटपूर्वक नक्शा तैयार कर हमारे खेतों के बीचों–बीच रास्ते की तरमीम कर दी, जिसकी जानकारी होने पर गलत रूप से दर्ज रास्ता को रोकने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं धोखाधड़ी के लिये पुलिस थाना धोरीमन्ना में फौजदारी प्रकरण दर्ज कराया गया।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अर्सा 10–15 दिन पूर्व हल्का पटवारी व तगाराम ने जबरन अपीलांट्स की भूमि में से रास्ता निकालने की कोशिश की तथा रास्ता स्वीकृत होने की बात की, तब अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 07.06.2017 को प्राप्त की

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होने पर यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं। इसके बावजूद भी सद्भाविक रूप से हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना का अपीलाधीन आदेश एवं इसकी पालना में की गई तरमीम को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय पैरोकार द्वारा द्वारा जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट्स द्वारा यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं जबकि अपीलाधीन आदेश धारा 55 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पक्षकारान की स्वेच्छा से प्रस्तुत समर्पण पत्र की स्वीकृति स्वरूप जारी किया गया हैं, जो धारा 75 के अन्तर्गत मामला अपील योग्य नहीं हो सकता हैं। इसके उपरांत भी धारा 55 के तहत सहमति एवं स्वेच्छा से किये गये समर्पण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि में भी अपील का कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत एवं तकनीकी दृष्टि से चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य हैं। इसके अलावा अपीलांट का यह कथन कि उसे समर्पण कार्यवाही की जानकारी नहीं थी यह तथ्य गलत है बल्कि वास्तविकता यह हैं कि अपीलांट पढे–लिखे व्यक्ति हैं और समर्पण विलेख में उनके हस्ताक्षर किये हुए है, जिससे यह प्रथम दृष्ट्या साबित हैं कि अपीलांट्स की जानकारी एवं सहमति से समर्पण हुआ हैं। इस आधार पर अपीलांट्स की यह अपील मयाद बाहर होने से भी खारिज योग्य हैं। अपीलांट्स द्वारा समर्पित भूमि का रास्ते के रूप में आम जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा हैं तथा एक बार खातेदारी भूमि का स्वेच्छ्या समर्पण करने बाद उसे पुनः खातेदारी में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है तथा इस अपील के द्वारा समर्पण कपटपूर्वक होने का तथ्य कयासी मात्र ही हैं जो किसी भी तरह से विश्वास योग्य नहीं हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावें।

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा शिव मंदिर के खसरा नम्बर 415/19 रकबा 142–00 बीघा भूमि मानाराम, सुखराम, रामजीवन, सुजानाराम पि0 कानाराम कौम बिश्नोई साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे दर्ज थी। उक्त भूमि में से 01–15 बीघा का पक्षकारान द्वारा स्वेच्छा से समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने का प्रार्थना पत्र

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

एवं समर्पण पत्र तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त समर्पण पत्र पर सभी खातेदारान के द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं तथा हल्का पटवारी द्वारा उनकी पहचान की गई हैं। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता का कथन हैं कि हल्का पटवारी द्वारा उन्हे धोखे में रखकर खाली कागजात पर हस्ताक्षर अंकित करवा दिये, जबकि उक्त अपीलाधीन समर्पण दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट होता हैं कि समर्पण हेतु निर्धारित प्रफॉर्मा में मुद्रित प्रार्थना पत्र एवं समर्पण पत्र पर नियत स्थान पर ही हस्ताक्षर अंकित हैं तथा खातेदारान के भूमि का विवरण हस्तलिखित रूप में हैं। ऐसे में प्रथम तो अपीलांट्स जब पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं तो खाली कागजात पर बिना हस्ताक्षर अंकित करने का कथन मानने योग्य नही हैं, इसके बावजूद भी प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से प्रकट होता हैं कि उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है, ऐसे में हल्का पटवारी की बदनियती होने का तथ्य साबित नहीं होता हैं। इसके अलावा इस अपील को तकनीकी एवं विधिक प्रावधानों की दृष्टि से देखा जाये तो धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित किसी आदेश को अपील के जरिये चुनौति दी जा सकती हैं जबकि अपीलाधीन आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 के तहत पारित किया गया हैं जिसके विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान ही नही हैं। इस प्रकार अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक प्रावधानों के विरूद्ध, मयाद बाहर होने के साथ ही मेरीट पर भी बलहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही विधिक रूप से चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Date: 2020.02.01 14:06:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: